प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला..... **भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी धौलपुर** .....थाना.....**प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर**... वर्ष ...**2023**.....
   प्र. इ. रि. स. .....155/2023..... दिनांक .....18/6/2023.....
2. (अ) अधिनियम ....**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)** ...धारायें...**7**.....
   (ब) अधिनियम ....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....259.....समय.....3:30AM.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–.....**शनिवार / 17.06.2023 / 10:30 पी.एम**.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .....**14.06.2023**..... समय. .....**07:00 AM**.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – ..... **लिखित** .....
5. घटनास्थल :–..... **विडवाड़ा मोहल्ला गली तसीमो , तसीमो की ढाय**.....
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – .....**बजानिव दिशा पश्चिम, दूरी करीब 13 कि.मी**.....
   (ब) पता – .....बीट सख्या .....जरायम देही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम .....**श्री दिनेश कुशवाह**.....
   (ब) पिता / पति का नाम ..... **श्री लाखन सिह** ...जाति ....**कुशवाह**....(स) जन्म तिथि / वर्ष.....**28 वर्ष** ...
   (द) राष्ट्रीयता.....**भारतीय** .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय.....
   (ल) पता.....**निवासी हैदलपुर, ग्राम पंचायत कोलूआ तह0 सैपऊ जिला धौलपुर** .....
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1. **सुशील कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह, उम्र 40 वर्ष, जाति किराड़, निवासी किरारपुरा, पुलिस थाना सैपऊ, जिला धौलपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का मालोनी खुर्द, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर** .....
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–.....**कोई नही**.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....
   .....**5,000 / –रूपये रिश्वत राशि** .....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....**5,000 / –रूपये रिश्वत राशि** .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....**नहीं**.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवा मे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर विषय–रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत् महोदय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं दिनेश कुशवाह S/O लाखन सिंह जाति कुशवाह उम्र 28 वर्ष निवासी हैदलपुर ग्रांप. कोलूआ तह0 सैपऊ जिला धौलपुर का रहने वाला हूं। मेरी कृर्षि भूमि रामहेत S/O बीधाराम जाति जाटव से जरिये ईकरारनामा खरीदी गई है जिसका खसरा नं. 2510 / 1406 है जिसका मैं खाते का अलग बटवारा करवाना चहा रहा हूं, जिससे की मैं उस भूमि का भूरूपान्तरण कराकर अपने नाम करा सकू। इकरारनामा में भी बंटवारा ऑनलाईन चढ़वाने इत्यादि की कार्यवाही मेरे द्वारा ही करने की जानी है, जिसके इसके लिए पटवारी सुशील जी पटवार मण्डल मालोनी खुर्द से दिनांक 07.06.2023 को घर पर जाकर मिला तो पटवारी जी ने कहा कि आप 10,000 / –रूपये लाकर दो तो तूम्हारा काम कम्प्लीट करके ऑनलाईन चढाकर 4–5 दिन में आपको दे दूंगा, मैने ऑनलाईन बटवारे को चढाने का प्रार्थना पत्र मय रिकार्ड उन्हे उसी समय दे दिया था, दिनांक 08.06.2023 को 5000 रूपये रिश्वत के पटवारी सुशील ने मेरे पेण्डिग जायज काम के बदले ले लिये है और पटवारी जी ने कहा कि पांच हजार रूपये और लाकर दे तब बटवारा कम्प्लीट करके ऑनलाईन चढाकर दे दूंगा। मैं अब 5000 रूपये रिश्वत के और नही देना चाहता हूं इससे कोई व्यक्तिगत रंजीस नही है पटवारी जी से मेरा कोई पुराना लेन–देन बकाया नही है मेरी यह रिपोर्ट पर

कानूनी कार्यवाही कराने का श्रम करावे। Date 14/06/23 हस्ता0 प्रार्थी दिनेश कुशवाह पुत्र लाखन सिंह निवासी हैदलपुर पोस्ट कोलूआ तह0 सैपऊ जिला धौलपुर Mob–97891000899

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 14.06.2023 को वक्त 07.00 ए.एम. पर परिवादी श्री दिनेश कुशवाह पुत्र श्री लाखन सिह, जाति कुशवाह, उम्र 28 वर्ष, निवासी हैदलपुर पोस्ट कोलुआ पुलिस थाना कौलारी, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट मय इकरारनामा, स्वयं के आधार कार्ड व जमाबन्दी की स्वप्रमाणित फोटोप्रति सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर के नाम संबोधित की हुई मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश की परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी श्री दिनेश कुशवाह ने रिपोर्ट स्वयं के द्वारा लिखी हुई होना बताया व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर लिखित प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुए बताया कि मेरी कृर्षि भूमि रामहेत पुत्र श्री बीधाराम जाति जाटव से जरिये ईकरारनामा खरीदी गई है जिसका खसरा नं. 2510/1406 है जिसका मैं उस भूमि का भूरूपान्तरण करवाकर अपने नाम करा सकू। इकरारनामा में भी बंटवारा ऑनलाईन चढ़वाने इत्यादि की कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जानी है, इसके लिए पटवारी श्री सुशील पटवार मण्डल मालोनी खुर्द से दिनांक 07.06.2023 को घर पर जाकर मिला तो पटवारी जी ने कहा कि आप 10,000/–रूपये लाकर दो तो तूम्हारा काम कम्प्लीट करके ऑनलाईन चढाकर 4–5 दिन में आपको दे दूंगा, मैने ऑनलाईन बटवारे को चढाने का प्रार्थना पत्र मय रिकार्ड उन्हे उसी समय दे दिया था, दिनांक 08.06.2023 को 5000 रूपये रिश्वत के पटवारी सुशील ने मेरे पेण्डिग जायज काम के बदले ले लिये है और पटवारी जी ने कहा कि 5000 रूपये और लाकर दे तब बटवारा कम्प्लीट करके ऑनलाईन चढाकर दे दूंगा। भूमि को कनवर्ट कराने हेतु बटवारा ऑनलाईन रिकार्ड में चढाने हेतु रामहेत ने मुझे अधिकृत किया हुआ है। मैं अब 5000 रूपये रिश्वत के और नही देना चाहता हूं तथा मैं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। इससे कोई व्यक्तिग रंजिस नही है पटवारी जी से मेरा कोई पुराना लेन–देन बकाया नही है मेरी यह रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करें। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत की मांग का पाया जाने पर समय 07:20 ए.एम. पर मौतबिरान के समक्ष परिवादी को रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में आरोपी से वार्ता कर वार्ता को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड करने के लिये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से श्री रविन्द्र कुमार हैड़ कानि. से निकलवाकर परिवादी के समक्ष डिजिटल वाइस रिकॉर्डर में सेन डिस्क कम्पनी का 32 जी.बी. नया मेमोरी कार्ड डालकर चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री योगेश सिह कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी को आरोपी के पास जाने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के वापस आने पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 07:30 ए.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी दिनेश कुशवाह एवं योगेश सिंह कानि. को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से आरोपी श्री सुशील पटवारी के निवास स्थान किरारपुरा के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया जो बाद सत्यापन समय 08:20 ए.एम. पर उपस्थित कार्यालय आये व मौतबिरान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को योगेश सिह कानि0 से प्राप्त किया गया। परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री सुशील पटवारी पटवार से मेरी वार्ता हो गई है पटवारी ने कृर्षि भूमि का बटवार कर ऑन लाईन चढाने की एवज में रिश्वत के रूप में 5,000/–रूपये मांगे हैं। मैंने सुशील पटवारी से हुई वार्तालाप को इस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। सुशील पटवारी ने आज ही रिश्वती राशि देने की कहा है। प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। परिवादी द्वारा बतायी गई उपरोक्त वार्ता सही पायी गई। फर्द वापसी सुपुर्दशुदा विभागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 09:00 ए.एम. पर परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरे पास अभी आरोपी पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि नही है, मैं घर से आरोपी को देने हेतु रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में लेकर उपस्थित आ जाऊगा। इस पर परिवादी को रिश्वत का इन्तजाम कर शीघ्र ही कार्यालय में उपस्थित होने एवं कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। समय 11:30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत आयुक्त, नगर परिषद

धौलपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री मनोज कुमार कानि. को कार्यालय नगर परिषद धौलपुर मय तहरीर के सरकारी मोटर साईकिल से रवाना किया गया। समय 12:10 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री दिनेश कुशवाह उपस्थित कार्यालय आया व पूछने पर बताया कि आरोपी पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000/–रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हूँ। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। समय 12:15 पी.एम. पर श्री मनोज कुमार कानि. कार्यालय नगर परिषद धौलपुर रवाना शुदा दो स्वतंत्र गवाह साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। कानि. के साथ आये दोनो स्वतंत्र गवाहान ने नाम पता पूछने पर अपने–अपने नाम क्रमशः श्री गुमान सिह सैनी सहायक अभियन्ता नगर परिषद धौलपुर व श्री संजीव मिश्रा वरिष्ठ सहायक नगर परिषद धौलपुर बताये जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपनी सहमति दी, तत्पश्चात दोनो गवाहो को ट्रेप कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुये कार्यालय में बिठाया गया। समय 12:30 पी.एम. पर गवाहान एवं परिवादी के सामने डिजीटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय में स्थापित सरकारी कम्प्यूटर में कनेक्ट करवा कर डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (13 मिनट 36 सैकेण्ड) को कम्प्यूटर से हैडफोन कनेक्ट करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को हैडफोन की मदद से सुना जाकर परिवादी से आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवा कर हिन्दी रूपान्तरण तैयार किया गया। वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता का के मैमोरी कार्ड सेन डिस्क कम्पनी 32 जी.बी से दो डीवीडियां तैयार कर उन पर मार्क "ए" अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक डी.वी.डी. मुल्जिम प्रति कपड़े की थैली में रखवाया जाकर थैली को शील मौहर कर थैली पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक डी.वी.डी. को आई.ओ. प्रति हेतु खुला रखा गया एवं मूल मेमौरी कार्ड को न्यायालय प्रति हेतु कपड़े की थैली में रखवाया जाकर थैली को शील मौहर कर थैली पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ए" अंकित किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजातों एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की तैयार फर्द ट्रासक्रिप्ट से आरोपी सुशील पटवारी पटवार मण्डल मालौनी खुर्द, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर के द्वारा परिवादी द्वारा जरिये इकरारनाम क्रय की गई कृर्षि भूमि का बटवारा कर ऑन लाईन चढाने की एवज में रिश्वत के रूप में 5000/–रूपये पूर्व में प्राप्त कर स्वीकार करना एवं पूर्व की मांग अनुसार 5,000/–रूपये और रिश्वत की मांग की पर सहमत होना पाया गया। आरोपी सुशील पटवारी द्वारा परिवादी से उसके द्वारा जरिये ईकरारनामा क्रय की गई कृर्षि भूमि के जायज पेडिंग काम कृर्षि भूमि का बटवारा कर ऑन लाईन चढाने की एवज में रिश्वत के रूप में 5,000/–रूपये मांग करना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होना पाया गया। समय 03:00 पी.एम. पर अलग–अलग कपड़े की थैली में शील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड सेनडेस्क 32 जी.बी. न्यायालय प्रति मार्क "ए" एवं एक डी.वी.डी. मुल्जिम प्रति मार्क "ए" को मालखाना प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। आरोपी की लोकेशन ज्ञात करने हेतु परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर कई बार कॉल करवाये गये लेकिन आरोपी द्वारा कॉल रिसिव नही किया एवं नां ही कॉल बेक किया गया है। ट्रेप कार्यवाही का सत्यापन आरोपी के घर पर सुबह के समय हुआ है, अभी आरोपी अपने तहसील कार्यालय में है या गांव में है या फील्ड में यह जानकारी प्राप्त नही हुई है ऐसी स्थिति में ट्रेप का स्थान निर्धारित नही होने से आज ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। परिवादी द्वारा अपने घर पर कोई जरूरी काम होना भी बता रहा है। ऐसी स्थिति में परिवादी को हिदासत दी गई कि जब भी आरोपी बुलाये तुरन्त मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराये एवं शीघ्र ही मय रिश्वत राशि के कार्यालय में उपस्थित होवे। समय 03:20 पी.एम. पर परिवादी को बाद हिदायत रूकसत किया गया। स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुए कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। समय 05:30 पी.एम. तक परिवादी का कोई कॉल नही आया है ऐसी स्थिति में दोनो स्वतंत्र गवाहान को बाद हिदायत रूखसत किया गया। दिनांक 16.06.2023 को समय 01:00 पी.एम. पर परिवादी दिनेश कुशवाह उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मैं दिनांक 14.06.2023 को आपके कार्यालय से घर पर गया था, उस दिन भी सुशील पटवारी का मेरे पास कोई कॉल नही आया। कल दिनांक 15.06.2023 को मैने सुशील पटवारी को कई बार कॉल किया लेकिन उसने कॉल नही लगा और उसका फोन भी नही आया। आज भी मैने उससे सम्पर्क करने की कोशिश की लेकिन उससे सम्पर्क नही हो सका, हो सकता है वह मेरे को भी बुला सकता है इसलिए मैं उसको रिश्वत में देने हेतु उसके द्वारा मांगे गये 5000 रूपये साथ लाया हूं। परिवादी द्वारा बताये गये हालातो से ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान श्री गुमान सिह सैनी सहायक अभियन्ता, नगर परिषद धौलपुर एवं

श्री संजीव मिश्रा वरिष्ठ सहायक नगर परिषद धौलपुर को तलब किया गया जो समय 01:10 पी.एम. उपस्थित कार्यालय आये जिनसे कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री दिनेश कुशवाह आपस में परिचय करवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने हेतु कहा तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। इस पर परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दोनों स्वतंत्र गवाहान को दी जाकर पढ़वाया गया व अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया। दोनो स्वतंत्र गवाहान लिखित रिपोर्ट पर प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर मय दिनांक किये। समय 01:20 पी.एम. पर परिवादी दिनेश कुशवाह ने आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 10 भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 5,000/–(पॉच हजार) रूप ये अपने पास से निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	8 AP 445808
2	एक नोट 500 रूपये का	9 ET 104310
3	एक नोट 500 रूपये का	4 NE 592876
4	एक नोट 500 रूपये का	5 FK 283108
5	एक नोट 500 रूपये का	4 QS 003984
6	एक नोट 500 रूपये का	6 EQ 070828
7	एक नोट 500 रूपये का	1 LN 194364
8	एक नोट 500 रूपये का	9 AU 358101
9	एक नोट 500 रूपये का	7 WD 756808
10	एक नोट 500 रूपये का	4 TV 899607

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो स्वतन्त्र गवाहान ने नोटों के नम्बरों का मिलान सहीं होना बताया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. नं. 179 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर का प्लास्टिक का डिब्बा निकलवाया जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकालवा कर आरोपी को दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये के नोटों पर श्री मनोज कुमार कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया। परिवादी श्री दिनेश कुशवाह की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री संजीव मिश्रा, वरिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 5,000 रूपये के नोटों को श्री मनोज कुमार कानि. से सीधे ही परिवादी द्वारा पहने हुए पेंट की दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। परिवादी को आरोपी से अभिवादन के दौरान हाथ नही मिलाने की भी हिदायत की गई। इसके बाद गवाह श्री संजीव मिश्रा वरिष्ठ सहायक से कार्यालय में रखे एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के प्लास्टिक के डिब्बा में से थोड़ा सा पाऊडर निकलवाकर कांच में डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिकिया का प्रयोगिक दृष्टान्त दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी दिनेश को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया श्री मनोज कुमार कानि. के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर के डिब्बा को बंद ढक्कन कर एवं प्रयोग में लिये गये कॉच के गिलास को श्री मनोज कुमार कानि. से मालखाना में रखवाया जाकर लॉक करवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस

में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इस समस्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल फाईल की गई। समय 02:00 पी.एम. पर परिवादी से आरोपी पटवारी के मोबाईल पर कॉल करवाया गया लेकिन कॉल नही लगने से आरोपी पटवारी से सम्पर्क भी नही हुआ एवं लोकेशन का कोई पता नही चला कि आरोपी पटवारी कार्यालय में है या फील्ड में या घर पर है। आरोपी की कोई स्पष्ट लोकेशन नां मिलने के कारण परिवादी द्वारा पहने हुए पेंट की दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवायी गयी रिश्वत राशि को सीधे ही स्वतंत्र गवाह श्री संजीव मिश्रा, वरिष्ठ सहायक से निकलवाकर एक लिफाफा में रखवाकर मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई एवं अग्रिम कार्यवाही कल दिनांक 17.06.2023 के लिए प्रस्तावित की जाकर स्वतन्त्र गवाह व परिवादी को कल दिनांक 17.06.2023 को समय 08:00 ए.एम. कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 17.06.2023 को समय 08:05 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री दिनेश कुशवाह उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि आज पटवारी घर पर मिल सकता है। समय 08:10 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री गुमान सिह सैनी सहायक अभियन्ता एवं श्री संजीव मिश्रा वरिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये जिनको ट्रेप कार्यवाही के बारे में आवश्यक निर्देश दिये गये। समय 08:20 ए.एम. पर परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह गुमान सिह सैनी ए.ई.एन. से लिवाई गई तो मोबाईल फोन व वाईक की चाबी के अलावा कोई वस्तु नही पाई गई। दिनांक 16.06.2023 को कार्यालय के मालखाना में लिफाफा में सुरक्षित रखवाई हुई फिनाफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 5000 रूपये को मालखाना से निकलवाकर रिश्वत राशि को लिफाफा से निकलवाकर दोनो गवाहान से फर्द पेशकशी से अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूं–ब–हूं होना पाये गये। उक्त 5000 रूपये को श्री मनोज कुमार कानि. से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। परिवादी को आरोपी से अभिवादन के दौरान हाथ नही मिलाने की भी हिदायत की गई। श्री मनोज कुमार कानि. से लिफाफा को जलाकर नष्ट करवाया गया एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, श्री मनोज कुमार व मन उप अधीक्षक पुलिस एवं शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन–पानी से साफ करवाये गये। परिवादी श्री दिनेश कुशवाह को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को मय मैमोरी कार्ड के चालू व बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। समय 08:50 ए.एम. पर नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. को बाद हिदायत कार्यालय में छोडा जाकर परिवादी श्री दिनेश कुशवाह एवं श्री योगेश सिंह कानि. को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से, श्री रविन्द्र कुमार हैड कानि. 28 व श्री ब्रहमदेव सिंह कानि. 449 को सरकारी मोटर साईकिल से, श्रीमति सुमन ठाकुर मकानि. 67, श्री बृजेश कुमार कानि. 461, श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. 277 व स्वतंत्र गवाह श्री संजीव मिश्रा वरिष्ठ सहायक को सरकारी वाहन बोलेरो नं. RJ14 UE 0815 मय बृजेश कुमार कानि. चालक 562 को आगे–आगे रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री गुमान सिह सैनी सहायक अभियन्ता मय सरकारी वाहन टवेरा नं. RJ14 UC 8799 मय श्री सरवन कानि. चालक 531 से मय लेपटॉप–प्रिन्टर, स्पीकर, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 09:10 ए.एम. पर परिवादी के पीछे–पीछे ग्राम किरारपुरा के पास पहुंचा हूं। परिवादी श्री योगेश कानि. को मोटर साईकिल से उतार नजर आते हुए घरो की तरफ चला गया जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस व हमराहीयान परिवादी के नियत ईशारे की प्रतिक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात ही परिवादी बिना ईशारा किये ही योगेश कानि. के पास आया और मोटर साईकिल लेकर वापस आये जिस पर परिवादी ने वाहन के पास आकर बताया कि पटवारी जी के घर पर पूछा तो तसीमो पटवार घर पर गये हुए है, पटवार घर तसीमो हॉस्पीटल के पास ही है। इस पर परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त किया सुना गया तो परिवादी द्वारा आरोपी की उपस्थिति के सम्बन्ध में पूछताछ वार्ता रिकार्ड है एवं लेन–देन व परिवादी के कार्य के सम्बन्ध में कोई वार्ता रिकार्ड नही है एवं वार्ता का फर्द रूपान्तरण तैयार करने का कोई औचित्य नही होने से रिकार्ड वार्ता को परिवादी की सहमति से डिलीट किया

जाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर वापस परिवादी को बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। परिवादी व योगेश कानि. के पीछे–पीछे रवाना होकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहनों के रवाना होकर तसीमो हॉस्पीटल के पास पहुंचे जहां पर योगेश हॉस्पीटल के बाहर ही रूक गया और परिवादी मोटर साईकिल को बाहर ही छोडकर हॉस्पीटल के पास स्थित पटवार घर में प्रवेश कर गया और कुछ समय बाद परिवादी बिना ईशारा किये ही पास ही खडे मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया और बताया कि पटवारी जी यहा पर भी नही है और उनका फोन नही लग रहा हैं। मैं उनका कोई मिलने वाला ढूढ़ता हूं जिससे पूछकर उसके पास चला जाउंगा। परिवादी द्वारा आरोपी के परिचित व्यक्ति से पटवारी के बारे में मालुम कर बताया कि पटवारी जी तसीमो की ढाय पर कोई पैमाईश कर रहे है, इस पर परिवादी को मोटर साईकिल से रवाना किया जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री गुमान सिंह सैनी ए.ई.एन. सरकारी मोटर साईकिल से परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर एक मन्दिर से पहले पहुंचे जहां साईड में परिवादी जाकर कुछ लोगो से वार्ता करने लग गया। मन उप अधीक्षक पुलिस व निर्देशानुसार आये हुए जाप्ता श्री रविन्द्र कुमार हैड कानि., श्री ब्रहमदेव सिंह कानि., श्री बृजेश कुमार कानि., व स्वतंत्र गवाह श्री संजीव मिश्रा वरिष्ठ सहायक परिवादी के नियत ईशारे का इन्तजार करने लगे कि समय 09:50 ए.एम. पर परिवादी उक्त व्यक्तियों के पास मोटर साईकिल से रवाना होकर थोडा आगे आकर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस हमराहीयान को ईशारा कर रवाना होकर परिवादी के पास पहुंचा तो 2–3 मोटर साईकिलों से कुछ व्यक्ति तसीमो की तरफ गये। परिवादी ने बताया कि मैने अभी–अभी वाईस रिकार्डर बन्द कर लिया है। मोटर साईकिल को चलाने वाले ही पटवारी सुशील कुमार है जिन्होने मेरे से अभी–अभी बात कर 5000 रूपये ले लिये है अब ये तसीमो पटवार घर की तरफ जा रहे है, इस पर परिवादी को आरोपी पटवारी के पीछे–पीछे मोटर साईकिल से चलने की हिदायत देकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय योगेश सिंह कानि. रवाना हुआ और तसीमो में हाईवे पर चढ़ते ही समय 10:00 ए. एम. पर पटवारी को रूकवाकर नाम पता पूछा तो पटवारी ने अपना नाम सुशील कुमार पटवारी, पटवार मण्डल मालोनी खुर्द होना बताया, पटवारी से परिवादी श्री दिनेश कुशवाह से 5000 रूपये किस बात के लिए है इस पर मोटर साईकिल पर बैठे–बैठे ही अपने हाथो को पेन्ट से रगडने लगा जिस पर मौके पर मौजुद स्वतंत्र गवाह श्री गुमान सिंह सैनी ए.ई.एन. एवं बायां हाथ श्री योगेश सिंह कानि. द्वारा कलाईयों के ऊपर से पकड़वाये एवं पुनः पूछने पर परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रखी होना बताया। मौके पर काफी भीड एकत्रित हो जाने एवं आरोपी का गांव पास ही होने तथा मौके पर कार्यवाही करने हेतु उचित जगह नही होने व राजकीय अवकाश होने से समस्त कार्यालय बन्द होने के कारण आरोपी पटवारी को हाथ पकड़े हुई स्थिति में सरकारी वाहन बोलेरो में बिठाया जाकर सरकारी वाहन को रवाना किया तथा श्री रविन्द्र सिंह हैड कानि. व ब्रहमदेव सिंह कानि. को मोटर साईकिल से आरोपी के मकान की खाना तलाशी लिये जाने हेतु सुरक्षित रखने की हिदायत कर रवाना किया गया एवं मन उप अधीक्षक पुलिस मय शेष स्वतंत्र गवाह व जाप्ता मय सरकारी वाहन के रवाना होकर समय 10:27 ए.एम. पर ब्यूरो चौकी धौलपुर पहुंचा, आगे–आगे रवाना शुदा जाप्ता मय आरोपी पटवारी के कार्यालय में एच.एम. कक्ष में कुर्सी पर बैठा हुआ मिला, समय 10:30 ए.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री दिनेश कुशवाह के समक्ष कार्यालय के एच.एम. कार्यालय में कुर्सी पर बिठाये हुए आरोपी सुशील कुमार पटवारी, पटवार हल्का मालोनी खुर्द जिसका दायां हाथ स्वतंत्र गवाह श्री गुमान सिंह सैनी ए.ई.एन. एवं बायां हाथ श्री योगेश सिंह कानि. द्वारा कलाईयों के ऊपर से पकड़े हुए से पूरा नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना पूरा नाम सुशील कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह, उम्र 40 वर्ष, जाति किराड़, निवासी किरारपुरा, पुलिस थाना सैपऊ, जिला धौलपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का मालोनी खुर्द, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर होना बताया। इस पर आरोपी सुशील कुमार पटवारी से परिवादी श्री दिनेश कुशवाह से 5000 रूपये रिश्वत लेने बाबत पूछा तो बताया कि मैने इनसे कोई रिश्वत नही ली है और मेरे पास इनका कोई काम नही है ये तो वी.सी. के रूपये दिये थे, 5000 रूपये 3 दिन पहले दिये और मैं आज ग्राम तसीमो में ढाय पर मेरा सरकारी काम कर रहा था जहां यह मेरे बारे में जानकारी कर मेरे पास मोटर साईकिल से आया और मुझे 500–500 रूपये के नोट दिये मैने पूछा कितने है तो दिनेश कुशवाह ने 5 हजार होना बताया था जिनको मैने बिना गिने ही बाये हाथ से मेरी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रख लिये और यह मेरे पास से चला गया। मैं मेरा काम कर पटवार घर मालोनी खुर्द जा रहा था कि तसीमो में आपने मुझे रूकवा लिया और मौके पर पूछताछ कर मुझे आपने अपने स्टाफ के साथ बोलेरो वाहन से आपके कार्यालय भेज दिया और पीछे–पीछे आप

आ गये। इस पर पास में खड़े परिवादी ने पूछने पर बताया कि पटवारी जी झूठ बोल रहे है मेरे द्वारा जरिये इकरारनाम श्री रामहेत पुत्र बीधाराम से क्रय की गई 14.5 बिस्वा जमीन का बटवारा कर ऑनलाईन चढाने की एप्लीकेशन दी थी, मैं उक्त भूमि का भूरूपान्तरण करवाकर अपने नाम करा सकू। इकरारनामा में भी बंटवारा ऑनलाईन चढ़वाने इत्यादि की कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है, उक्त काम के लिए पटवारी जी द्वारा मेरे से 10,000 रूपये की मांग की थी जिसमें पटवारी जी ने 5000 रूपये दिनांक 08.06.2023 को ले लिये व शेष 5000 रूपयो की और मांग की जिस पर मैने दिनांक 14.06.2023 को पटवारी को रंगे हाथो पकड़वाने हेतु आपको लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर आप द्वारा उसी दिन सत्यापन करवाया तो पटवारी जी उक्त कार्य के लिए पूर्व की मांग अनुसार 5,000 रूपये प्राप्त करना स्वीकार करते हुए शेष 5000 और रिश्वत की मांग की थी और आप द्वारा ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही करने के बाद मुझे घर भेज दिया था। कल दिनांक 16.06.2023 को मैं दोपहर में आपके पास आकर आरोपी को दी जानी वाली राशि 5000 रूपये गवाहान के सामने पेश की थी जिस पर आपने फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर मेरी पहनी हुए पेंट की दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवाये थे। पटवारी की लोकेशन का पता नही चलने के कारण रिश्वत राशि को एक लिफाफा में मालखाना में रखवाया जाकर मुझे रूखसत कर दिया था और आज सुबह में आपके पास आया और आप द्वारा मनोज के मार्फत रिश्वत राशि को मेरी पहनी हुई पेंट की दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवाये थे और मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर मेरी मोटर साईकिल से पटवारी के पास पहुंचा जहां मैने इनसे जमीन बटवारा के सम्बन्ध में वार्ता की एवं मैने पटवारी जी को पूर्व की मांग अनुसार अपने पास से निकाल कर 5000 रूपये दिये जिनको पटवारीं जी ने अपने बाय हाथ में लेकर बिना गिने ही अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रख लिये और मेरे पूछा कि कितने है तो मैने कहा कि 5000 है, काम के बारे में पटवारी जी ने कहा कि आपका काम हो गया है अब ऑनलाईन करना शेष है। इस पर मैने आपको देखकर ईशारा कर दिया इतने में पटवारी जी वहां से अपनी मोटर साईकिल लेकर तसीमो की तरफ रवाना हो गया, मैं भी इनके पीछे–पीछे मैं भी मोटर साईकिल से आ गया और डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर मेरे पास रख लिया। आपने पीछा कर पटवारी जी को तसीमो में हाईवे पर चढ़ते ही रूकवाकर इनसे पूछताछ कर ए.सी.बी. कार्यालय धौलपुर में सरकारी बोलेरो से भेज दिया, में अपनी मोटर साईकिल से आप और आपकी पार्टी सरकारी वाहन से रवाना होकर आपके कार्यालय में आ गये। रूपये इनके पहनी हई पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रखे है। परिवादी ने मांगने पर डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द स्थिति में पेश किया जिसे अपने पास सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात सरकारी वाहन से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर व कार्यालय में स्थित वाटर कूलर से एक बोतल मे पानी मंगवाकर ट्रेप वॉक्स में से स्टील का कटोरा निकलवाकर स्वतंत्र गवाह संजीव मिश्रा वरिष्ठ सहायक से स्टील के कटोरा को साबुन पानी से साफ धुलवाकर कटोरा में साफ पानी भरवाकर ट्रेप वॉक्स में सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा व चम्मच निकलवाकर स्टील के कटोरा में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी सुशील कुमार पटवारी के दाहिने हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी को दिखाया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात पुनः उक्त स्वतंत्र गवाह से ही ट्रेप बॉक्स से दूसरा स्टील का कटोरा निकलवाकर कटोरा व चम्मच को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ धुलवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर कटोरे में पानी डाला जाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया, उक्त घोल में आरोपी सुशील कुमार पटवारी के बांये हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी को दिखाया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात आरोपी सुशील कुमार पटवारी से रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर आरोपी ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बांयी जेब से 500–500 रूपये के मुडे हुए नोट निकालकर पेश किये, जिनको स्वतंत्र गवाह श्री गुमान सिंह सैनी ए.ई.एन. दिलवाकर गिनवाया तो

500–500 के कुल 10 नोट कुल 5000/–रुपये होना पाये गये। उक्त रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरो का मिलान ए.सी.बी. कार्यालय धौलपुर में तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये, जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर नम्बरी रिश्वत राशि 5,000/–रूपये को बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी द्वारा मांगने पर अपनी पहनी हुई पेन्ट को उतार कर पेश किया जिसके पीछे के बाये जेब को छोडकर स्वतंत्र गवाह श्री गुमान सिंह सैनी ए.ई.एन. से चैक करवाया तो पेन्ट के सामने की दांयी जेब में चश्मा कवर, बांयी जेब मे चाबी एवं पीछे की दायी जेब में पर्स जिसको टेबल पर सुरक्षित रखा जाकर पृथक से चैक किया तो पर्स में कुल 16620 रूपये पाये गये जिसके बारे में पूछने पर आरोपी ने उक्त राशि को स्वयं के बचत के होना बताया। स्वतंत्र गवाह श्री गुमान सिंह सैनी ए.ई.एन. के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। स्वतंत्र गवाह श्री संजीव मिश्रा वरिष्ठ सहायक से स्टील के कटोरा व चम्मच को साबुन–पानी से अच्छी तरह साफ धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बा मे से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया जिसमें आरोपी सुशील कुमार पटवारी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बांयी जब को उलटवाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी को दिखाया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क PP-1 व PP-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी के पेन्ट की पीछे की बांयी जेब को धूप में सुखवाकर जेब के सफेद कपड़े पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर शील्ड मोहर कर मार्क P अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद आरोपी सुशील कुमार पटवारी से परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज के बारे में पूछा तो बताया कि इनके द्वारा दी गई एप्लीकेशन व ई–स्टाम्प पटवार घर मालोनी खुर्द में रखे हुए है, जिनको पृथक से जप्त किया जावेगा। मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकार्ड होना पाई गई जिसको पृथक से सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी व आरोपी से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादी व आरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। इस समस्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिव की जाकर नमूना सील फर्द पर अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। समय 12:05 पी.एम. पर आरोपी को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में छोडा जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रविन्द्र कुमार हैड कानि. व श्री ब्रहम देव सिंह कानि., श्री मनोज कुमार कानि. व श्रीमति सुमन ठाकुर मकानि. मय सरकारी वाहनो के आरोपी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी लेने रवाना होकर पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय सरकारी वाहन के रवाना शुदा आरोपी के ग्राम किरारपुरा पहुंचा जहां पर नियमानुसार रूबरू गवाहान के समक्ष आरोपी की पत्नी एवं भाई की मौजुदगी में आरोपी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी जरिये फर्द तैयार की जाकर फर्द की एक प्रति बाद हस्ताक्षर आरोपी के भाई श्रीनिवास को निशुल्क दी जाकर रवाना होकर उपस्थित समय 02:40 पी.एम. कार्यालय आया। आरोपी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ए.सी.बी.लिया गया, फर्द अलग से मुर्तिव कर फर्द शामिल पत्रावली की गई समय 03:10 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकार्डर को स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी दिनेश कुशवाह, आरोपी सुशील कुमार पटवारी की मौजूदगी में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत लेन देन वार्ता (14 मिनट 24 सैकण्ड) को टेबल स्पीकर की सहायता से सुना जाकर परिवादी से आवाज की पहचान करवाकर रिश्वत लेन–देन वार्ता रूपान्तरण तैयार किया जाकर। रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से दो डी.वी.डी. (एक मुल्जिम डी.वी.डी व एक आई.ओ. डी.वी.डी.) एवं मूल मैमोरी कार्ड को अलग–अलग कपड़े की थैलियों में रखवाया जाकर थैलियों को शील मौहर कर थैलियों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "B" अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। कपड़े की थैलियों में शील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड मार्क B एवं मुल्जिम प्रति डी.वी.डी

मार्क B को श्री रविन्द्र कुमार हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। आई.ओ. प्रति डी. वी.डी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण लेन–देन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 05:20 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, ब्रहमदेव सिंह कानि. मय अभियुक्त सुशील कुमार पटवारी के नक्शा मौका एवं परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पटवार घर से प्राप्त करने हेतु मय सरकारी वाहन बोलेरो मय लेपटॉप–प्रिन्टर आदि उपकरणो के रवाना होकन समय 05:50 पी.एम. पर तसीमो की ढाय घटनास्थल पर पहुंच परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर स्वतंत्र गवहान समक्ष नक्शा मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल किया जाकर परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पटवार घर से प्राप्त करने हेतु मय सरकारी वाहन बोलेरो मय लेपटॉप–प्रिन्टर आदि उपकरणो के रवाना होकर समय 06:00 ए.एम. पर पटवार घर तसीमो पहुंचा जहां अभियुक्त द्वारा पटवार घर तसीमो का ताला खोलकर परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित मूल दस्तावेज पेश किये जिनका अवलोकन किया तो दस्तावेज पेश किये जिनका अवलोकन किया गया तो परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित होना पाया गया। आज राजकीय अवकाश होने से उक्त मूल दस्तावेज की फोटोप्रति करवाई जाकर प्रमाणित कर सम्बन्धित हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जप्त किये गये एवं परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित मूल दस्तावेज जप्त किये जाने जाने परिवादी के कार्य में देरी होने की सम्भावना को देखते हुए परिवादी के मूल दस्तावेज जरिये पत्र वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी सैपऊ जिला धौलपुर को प्रेषित किये जावेगे। बाद कार्यवाही समय 06:30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, ब्रहमदेव सिंह कानि. मय अभियुक्त सुशील कुमार पटवारी के पटवार घर तसीमो से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया। समय 07:00 पी.एम. पर गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने हेतु काम में ली गई पीतल की नमूना सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (26) लिखा हुआ है को नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई एवं परिवादी श्री दिनेश कुशवाह एवं स्वतंत्र गवाहान को बाद कार्यवाही बाद मुनासिव हिदायत कर रूखस्त किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही, परिवादी की लिखित रिपोर्ट, प्राप्त रिकार्ड, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट से आरोपी सुशील पटवारी पटवार मण्डल मालौनी खुर्द, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर के द्वारा परिवादी श्री दिनेश कुशवाह द्वारा जरिये इकरारनामा क्रय की गई कृर्षि भूमि का कनवर्ट कराये जाने हेतु बटवारे को ऑनलाईन चढाने की एवज में रिश्वत के रूप में 10000/–रूपये की मांग करना एवं 5000/–रूपये दिनांक 08.06.2023 को प्राप्त कर लेना एवं दिनांक 17.06.2023 को रिश्वत मांग के अनुसरण में 5000/–रूपये प्राप्त करना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने पर आरोपी सुशील कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह, उम्र 40 वर्ष, जाति किराड़, निवासी किरारपुरा, पुलिस थाना सैपऊ, जिला धौलपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का मालोनी खुर्द, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में प्रेषित है।

(सुरेन्द्र कुमार सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निराधक ब्यूरो
धौलपुर (राज०)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुशील कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह, पटवारी, पटवार हल्का मालोनी खुर्द, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 155/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

18.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1171-74 दिनांक 18.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, धौलपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर।

18.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।